राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
वि"ोष बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 नीतिगत विषय	(क) National Strategy for Financial Inclusion (NSFI):2019-2024 (ख) A Monograph on the State of Sikkim's Organic Transformation (ग) Expanding and Deepening of Digital Payments Ecosystem (District : Almora) (घ) लीड बैंक स्कीम – एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का संप्रेषण एवं प्रबंधन में सुधार (Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management)
एजेण्डा संख्या – 2 वित्तीय समाव"ान	(क) जन–धन द"ार्क जी.आई.एस. ऐप के अनुसार वित्तीय बुनियादी सुविधाओं से अपर्याप्त रुप से अनाच्छादित गाँव (ख) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट
एजेण्डा संख्या – 3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 4	प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना
एजेण्डा संख्या – 5 कृषि अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति	(क) दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से संबंधित डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) अभियान (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एंव मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
एजेण्डा संख्या – 6	Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers (including interested MUDRA borrowers) (Maximum 20% of Total outstanding amount)
एजेण्डा संख्या – 7	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) – 30/06/2020
एजेण्डा संख्या – 8 बैंकों द्वारा ऋण वितरण	(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)
एजेण्डा संख्या – 9	एम.एस.एम.ई ऋण, कृषि ऋण एवं मुद्रा ऋण योजनान्तर्गत एन.पी.ए. की समीक्षा
एजेण्डा संख्या – 10	जिला स्तरीय पुर्ननिरीक्षण समिति/जिला पराम"ादात्री समिति (DLRC/DCC) की मासिक बैठक
एजेण्डा संख्या – 11	पंजाब ने"ानल बैंक, बन्दरकोट शाखा को नैनबाग में ि"ाफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में
एजेण्डा संख्या – 12	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 13	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नैनीताल बैंक के प्रधानमंत्री जन–धन योजना के लाभार्थियों के खाते में धनरा"ाी जमा न होने के संबंध में
एजेण्डा संख्या – 14 RBI	(क) राष्ट्रीय वित्तीय ि"ाक्षण कार्यनीति (एन.एस.एफ.ई.) 2020–2025 (ख) Revised Priority Sector Guidelines
एजेण्डा संख्या – 15 NABARD	(क) Agriculture Infrastructure Fund. (ख) Special Refinance Facility – Transformation of Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) as Multi-Service Centre (MSC). (ग) Special Refinance Scheme in NABARD Watershed and Wadi Project Areas (घ) Central Sector Scheme on formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations.
एजेण्डा संख्या – 16 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
वि"ोष बैठक दिनांक 05 अक्टूबर , 2020
कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 :

(क) National Strategy for Financial Inclusion (NSFI):2019-2024 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावे"ान के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की गयी है, जिसका विजन/दृष्टिकोण व मुख्य उद्दे"य वित्तीय समावे"ान प्रोसेस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समरुपता लाना है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी Stakeholders का योगदान होगा।

उपरोक्त नीति के अंतर्गत मुख्य Objectives / Milestones निम्न प्रकार से हैं :

a) Universal Access to Financial Services – प्रत्येक गांव में 5 किमी. रेडियस की उचित दूरी के अन्तर्गत एक औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता हो, ताकि गांव को सेवा प्राप्त हो सके। ग्राहकों को एक आसान और परे"ाानी मुक्त डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बैकिंग से जोड़ा जा सकता है।

- पर्वतीय क्षेत्रों में 500 घरों के छोटे गांव / 5 किमी. दायरे के सभी गांवों के भीतर बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / भुगतान बैंकों / लघु वित्त बैंकों के बैंकिंग आउटलेटों की संख्या में वृद्वि।
- मार्च 2022 तक कम नकदी वाले समाज की ओर उन्मुख होने के लिए आव"यक बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु सभी Tier-II से Tier-VI केन्द्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विभिन्न तरीकों हेतु इको–सिस्टम को मजबूत करना।

b) Providing basic bouquet of financial services – प्रत्येक वयस्क, जो इच्छुक और योग्य है, को वित्तीय सेवाओं का एक बुनियादी समूह प्रदान करना होगा, जिसमें बुनियादी बचत बैंक जमा खाता, क्रेडिट, माइक्रो लाईफ और गैर–जीवन बीमा उत्पाद, पें"ान उत्पाद और उपयुक्त निवे"ा उत्पाद शामिल होने चाहिए।

- प्रत्येक इच्छुक और योग्य वयस्क जो पी.एम.जे.डी.वाई. (हाल ही में रोजगार प्राप्त करने वाले युवक वयस्कों सहित) के तहत एनरोल हुये हैं, को एक बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई. आदि), पें"ान योजना (एन.पी.एस., ए.पी.वाई. आदि) के तहत एनरोल किया जाय।

(Progress as on 31.08.2020) **(Annex. – 1)**

PMJDY A/C	PMSBY A/C	PMJJBY A/C	APY A//C
2789699	1752630	412009	223500

- सभी बी.सी. की क्षमता निर्माण या तो सीधे मूल संस्था द्वारा या मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से किया जाए।
- नीति आयोग द्वारा राज्य में हरिद्वार जिले को Aspiration District के तौर पर चिन्हित किया गया है, जहां पर Targetted Financial Inclusion Programme चल रहा है।

दिनांक 28/08/2020 तक की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत है :

Benchmark for Aspirational Districts	**Bank accounts (CASA) per lakh of population**	**PMJJBY enrollments per lakh popolution**	**PMSBY enrollments per lakh popolution**	**APY enrollments per lakh popolution**
Best performing district in country	1,29,755	9,772	30,303	2,886
Goal for Phase 1 (75% of benchmark)	97,316	7,329	22,727	2,164
District Haridwar KPI : Jan. 2020	1,12,895	3,204	14,125	2,059
Shortfall of Phase 1 goal	NIL	4,125	8,602	105

c) Access to Livelihood and Skill Development – वित्तीय प्रणाली में शामिल हुये नए सदस्यों, यदि वे पात्र हैं और यदि किसी आजीविका / कौ"ाल विकास कार्यक्रम को अपनाना चाह रहे हैं, तो उन्हे वर्तमान में चल रहे सरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जाय, ताकि उन्हे अपने कौ"ाल को बढ़ाने और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने एवं आय सृजन को सुधारने में मदद मिल सके।

- आर. सेटी, एन.आर.एल.एम., एन.यू.एल.एम., पी.एम.के.वी.वाई. के माध्यम से चल रहे कौ"ाल विकास और आजीविका सृजन कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी प्रासंगिक विवरण नए प्रवे"ाकों को खाता खोलने के समय उपलब्ध कराया जाय। बेरोजगार युवाओं और उन महिलाओं सहित एसे खाता धारकों के विवरण, जो कौ"ाल विकास योजना को अपनाना चाहते हैं और आजीविका कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, को सम्बन्धित कौ"ाल विकास केन्द्रों / आजीविका मि"ान के साथ साझा किया जाय।

d) Financial Literacy and Education – वि"ाष्ट लक्षित वगो के लिए आसानी से समझ में आने वाले वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल को ऑडियो विडियो / बुकलेट के रुप में उपलब्ध कराया जाय।

e) Customer Protection and Grievance Redressal – प्रभाव"ालता और समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए वित्तीय सेवायें प्रदाताओं के आंतरिक ि"ाकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।

f) Effective Coordination – यह सुनि"चित करने के लिए कि ग्राहक अनवरत तरीके से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो सके, प्रमुख हितधारकों के मध्य एक केन्द्रित और निरंतर समन्वयन की नितांत आव"यकता है।

इस विषयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को अनुपालन हेतु निर्दे"ात किया गया है।

(ख) <u>A Monograph on the State of Sikkim's Organic Transformation</u> :

(Annex. – 2)

सिक्किम राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 1 प्रति"ात है तथापि दे"ा के ओर्गेनिक भू–भाग में राज्य का 12 प्रति"ात भू–भाग ओर्गेनिक है। 18 जनवरी, 2016 को सिक्किम राज्य को भारत का प्रथम ओर्गेनिक राज्य घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के सिक्किम कार्यालय ने "Monograph on the State of Sikkim's Organic Transformation" तैयार किया है। इसी तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में ओर्गेनिक फूड एवं ओर्गेनिक फार्मिंग विकसित करने हेतु सभी हितधारकों द्वारा एक रोडमैप तैयार किये जाने की आव"यकता है, जिसके आधार पर राज्य में स्थित किसानों को प्रत्येक जिले में ब्लाकवार ओर्गेनिक फसल की पैदावार हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हे ओर्गेनिक खेती के लाभ से अवगत कराने की आव"यकता होगी। ओर्गेनिक पैदावार हेतु कृ'ाकों में जागरुकता लाने हेतु कृषि तकनीकि वि"ोषज्ञों द्वारा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में जागरुकता प्रोग्राम करने की आव"यकता होगी। Monograph of Sikkim Organic Transformation का सार Annex – 2 में दिया गया है।

(ग) Expanding and Deepening of Digital Payments EcoSystem (Distt.: Almora) :

With a view to expand and deepen the digital payment ecosystem, State Level Bankers Committee (SLBC) identified the district "Almora" for making it 100% digitally enabled.

Banks had been advised to devise a time bound roadmap for all branches of member banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Regional Rual Banks located in the identified district (Almora) for on-boarding merchants / traders / businesses / utility service providers to facilitate full digital transactions by October 2020.

100 प्रति"ात डिजीटाइजे"ान के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले में दिनांक 31/08/2020 तक निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

		31.08.2020
Digital coverage for individuals (SB A/c for bank customers)	Total No. of operative SB A/c	6,97,825
	No. of Debit /Credit/Rupay Card issued to operative Saving bank A/C	4,15,758
	No. of Netbanking issued	1,46,166
	No. of Mobile Banking+UPI+USSD	1,49,502
	Total No. of operative SB A/c covered with atleast one of the facilities Debit/Credit/Netbanking/Mobile banking/UPI/USSD **(Achievement - 60%)**	4,27,046
Digital Coverage for Business (Current A/c for bank customer)	Total No. of operative Current A/c	16,528
	No. of Netbanking to Current A/c	1,708
	No. of POS/QR availed by Current A/c **(Achievement - 20%)**	3,361
Provision of Digital Infrastructure for non customer	POS/QR issued to shopkeeper (other than current account holder)	94
	POS/QR issued to Government / Public Service Providers	28
Total	Total POS/QR (other than current account holder)	137
Digital Financial Literacy	No. of FLC camps on Digital	64

(घ) Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its management :

(Annex. – 3)

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.No.558/02.01.001/2019-20 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा दिए गए निर्दे"ाों के अनुक्रम में एस.एल.बी.सी. के डाटा प्रवाह एवं प्रबंधन प्रणाली (Developing a Standardized System for Data Flow and its management) में एकरुपता लाने के उद्दे"य से सभी बैंकों द्वारा Standardized System तैयार किया जाना है, जिससे कि एस.एल.बी.सी. को बैंकों का डाटा ऑनलाईन उपलब्ध हो सके।

इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि अब तक 19 बैंकों द्वारा पुष्टि प्रेषित की गयी है कि उनके द्वारा Standardized System (Block wise mapping) तैयार कर लिया गया है तथा अव"ोष 12 बैंकों द्वारा सूचित किया गया है कि कार्य प्रगति पर है। बैंकों द्वारा सूचित किया गया है कि 31 सितम्बर, 2020 तक Standardized System (Block wise mapping) का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

राज्य सहकारी बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी प्राथमिक सहकारी समितियां कम्प्यूटरीकृत न होने के कारण उनके बैंक द्वारा Standardized System तैयार नही हो पा रहा है।

एजेण्डा संख्या – 2 :

(क) **Villages uncovered by financial infrastructure on Jan Dhan Darshak GIS App :**

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई–मेल दिनांक 04 अगस्त, 2020 द्वारा दिये गये निर्दे"ाों के अनुक्रम में Jan Dhan Darshak GIS App पर परीक्षण के उपरान्त जिला पिथोरागढ में 4 गांव (Load, Kota, Dungari and Malun-Pandrah) बैंकिंग सुविधा से वंचित पाये गये थे। जिसके लिये वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा India Post Payments Bank को Jan Dhan Darshak GIS App पर पूर्ण विवरण अपडेट करने हेतु निर्दे"ात किया गया है।

उक्त संदर्भ में India Post Payments Bank (IPPB) देहरादून से हुई वार्ता के अनुसार उपरोक्त 4 गांव दूसरे जिले के क्षेत्र में कार्यरत Dungari, Distt. Champawat IPPB शाखा द्वारा बैंकिंग सुविधा से त्रुटिव"ा संतृप्त दिखाये गये थे। उक्त 4 गांवों (Load, Kota, Dungari and Malun-Pandrah) मे डी.ओ.टी. के अनुसार मात्र एक उप डाकघर डुगारी में ही BSNL-2G LAN Connectivity की सुविधा उपलब्ध है। इस संदर्भ में IPPB द्वारा अवगत कराया गया है कि LAN Connectivity की उपलब्धता न होने के कारण सब पोस्ट ऑफिस सी.बी.एस. में रोल आउट नही हो पा रहे हैं।

IPPB द्वारा असमर्थता प्रकट करने पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड ने मुख्य प्रबन्धक (FI) DSH-2, भारतीय स्टेट बैंक पिथोरागढ (निकटतम भारतीय स्टेट बैंक की नाचनी शाखा, डुंगारी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है) से अनुरोध किया है कि चारों गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक मित्र नियुक्त कर लें और वी.सी. कोड हेतु स्थानीय प्रधान कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली को आवेदन करें।

(ख) **Business Correspondent and Capacity Building :**

दिनांक 31.07.2020 तक Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है : **(Annex. – 4)**

Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
2456	1849	607	994	1462

इण्डियन बैंक एसोसिए"ान द्वारा सभी बैंकों को प्रेषित पत्रांक SB/CIR./FI-BC/2019-20/7551 दिनाक 05 जुलाई, 2019 के माध्यम से जारी दि"ाानिर्दे"ाानुसार बैंकों में वर्तमान में समस्त कार्यरत Business Correspondent को ऑनलाईन B.C. Certification कोर्स पूर्ण करने हैं।

समस्त बैंकों को पुनः निर्दे"ात किया गया है कि शीघ्र ही अव"ोष बी.सी. को ऑनलाईन B.C. Certification कोर्स पूर्ण कराने की व्यवस्था करें।

एजेण्डा संख्या – 3 :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में दिनांक 27 मई, 2020 को अपर मुख्य सचिव (एम.एस.एम.ई.) महोदया की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सचिवालय में आयोजित बैठक में योजना को bankable बनाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये सुझाव/बिन्दुओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दायरे में लाये जाने के क्रियान्वयन हेतु प्रचलनात्मक दि"ाानिर्दे"ा शासन से पत्र संख्या VII-3-20/01(03)–एम0एस0एम0ई0/2020टी0सी0 02 दिनांक 25 जून, 2020 के माध्यम से दिनांक 06 जुलाई, 2020 को प्राप्त हुये, जिसे सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला पबन्धकों को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

उक्त विषयक दिनांक 19 अगस्त, 2020 को महानिदे"ाक/आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें वी.सी. के माध्यम से राज्य के सभी जिला अधिकारियों एव मुख्य विकास अधिकारिया द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी :

1. योजना के प्रोडक्ट कोड का ना होना।
2. एम.एस.वाई. पोर्टल का यूजर फ्रेन्डली ना होना।

प्रथम विन्दु पर सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रोडक्ट कोड उपलब्ध होने तक बैक पीएमईजीपी/मुद्रा योजना/अनुषंगी गतिविधियों में प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत करें।

द्वितीय विन्दु पर महानिद"ाक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा एम.एस.एम.ई. विभाग को निर्दे"ात किया गया कि एम.एस.वाई. पोर्टल को यूजर फ्रेन्डली बनाया जाय।

दिनांक 25 अगस्त 2020 को अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सचिवालय प्र"ाासन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक, जिसमें वी.सी. के माध्यम से राज्य के सभी जिला अधिकारियों एव मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी बैंकों को निर्दे"ात किया गया कि योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति में तेजी लायी जाय।

1. उत्तराखण्ड ग्रामीण बैक द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत शाखाओं को निम्नानुसार निर्दे"ात किया गया है :

1. प्राथमिक प्रतिभूति – ऋण से सृजित परिसंपत्तियों पर बैंक के पक्ष में प्रभार।
2. सम्पा"ावक प्रतिभूति –

(क) रु0 10.00 लाख तक :– निरंक।

(ख) रु0 10.00 लाख से अधिक एवं रु0 25.00 लाख तक :– पर्याप्त हैसियत के दो जमानती और ऋण रा"ा के 100% के मूल्य के साम्यिक बंधक।

2. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक द्वारा शाखाओं को निर्दे"ात किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंक ऋण नीति के अनुसार आनुषांगिक प्रतिभूति (Collateral Security) उपलब्ध करवाने हेतु ऋण आवेदक को अवगत करायें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है : **(Annex. – 5)**

Progress as on 17/09/2020 (Rs. In lacs)

Applications Sent to Banks	Under process by Bank	Reverted by Bank	Rejected by Bank	Loan Sanctioned by Bank		Loan Disbursed by Bank	
No.	No.	No.	No.	No.	Amt.	No.	Amt.
3694	478	270	698	1250	5073.56	121	380.55

एजेण्डा संख्या – 4 :

प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना :

वर्तमान में चल रही वैं”वक महामारी कोविड–19 के कारण फेरी व्यवसायियों के स”ाक्तिकरण एवं उनकी आजीविका संवर्धन हेतु उन्हे ऋण के माध्यम से कार्य”ील पूंजी का सहयोग दिये जाने की तत्काल आव”यकता है, जिससे वे अपना व्यवसाय पुनः आरम्भ कर सकें। अतः इसी उद्दे”य के दृष्टिगत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहरी निकायों के फेरी व्यवसायियों हेतु ”प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना“ की घोषणा की गयी है।

उप महाप्रबन्धक, सिडबी, देहरादून द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2020 को ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 02 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पोर्टल (Udyami Mitra Portal) का शुभारम्भ किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया कि Stand Up Mitra पोर्टल में उपयोग होने वाली ID का उपयोग ही Udyami Mitra Portal में किया जायेगा।

इसी संदर्भ में दिनांक 14 अगस्त, 2020 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड, शहरी विकास निदे”ालय द्वारा संयुक्त रुप से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिडबी के उप महाप्रबन्धक, देहरादून द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं राज्य के 13 जिलों में कार्यरत अग्रणी जिला प्रबन्धकों को वी.सी. के माध्यम से शामिल किया गया। समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से आग्रह किया गया कि वे अपने–अपने जिले म बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवायें तथा यदि किसी बैक शाखा को ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका निराकरण करवायें।

उक्त योजनान्तर्गत बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची समस्त बैंक नियंत्रकों को दिनांक 22/07/2020, 27/07/2020 तथा 29/07/2020 को ई–मेल के माध्यम से त्वरित निस्तारण हेतु प्रेषित की गयी है।

आत्मनिर्भर निधि योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है : **(Annex. – 6)**

Progress as on 21/09/2020

No. of Applications uploaded in portal	No. of Applications Picked by Banks	No. of Applications Sanctioned	No. of Applications Disbursed	% Achievement Sanctioned VS Total Application
3191	625	982	157	30.77

वैन्डर द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए पी.एम. स्वनिधि पोर्टल में वितरण अपलोड करने हेतु वैन्डर का UPI (Unified Payment Interface) ID आव”यक है।

एजेण्डा संख्या – 5 :

(क) दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से संबंधित डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) अभियान की प्रगति :

मत्स्य, प”ुपालन एंव डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से लिंक डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01 जून, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक वि”ोष अभियान प्रारम्भ किया गया है।

योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2020 एवं 17 अगस्त, 2020 को सभी बैंकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक, प्र”ाासनिक कार्यालय, देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य में कार्यरत बैंकों, अग्रणी जिला प्रबन्धक, देहरादून एवं उत्तराखण्ड कौपरेटिब डेयरी फेडरे”ान के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

दिनांक 10 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में बैंकों द्वारा सुझाव दिया गया कि दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को दुग्ध उत्पादन एवं प"ाुपालन कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र उन्ही बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जांय, जिन शाखाओं में दुग्ध समितियों द्वारा आवेदक की देय रा"ाि जमा की जाती है। सभी बैंकों को निर्दे"ाित किया गया कि योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण/स्वीकृति का विवरण पी.एम.किसान पोर्टल पर दर्ज करना सुनि"चित करें, ताकि समय–समय पर वास्तविक स्थिति का विवरण पोर्टल से प्राप्त किया जा सके एवं योजनान्तर्गत प्रगति की निगरानी की जा सके।

दिनांक 17 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में बैंकों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :

1) बैंक शाखाओं में ऋण आवेदन पत्र पूर्ण रुप से भरकर वांछित प्रपत्रों सहित प्रेषित किये जांय।
2) ऋण आवेदन पत्र उसी शाखा को प्रेषित किये जांय, जिस शाखा से आवेदक द्वारा मियादी ऋण लिय गया हो और किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया हो।
3) दुधारु जानवरों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न कर ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

बैठक में बैंकों को अवगत कराया गया कि रु. 1.60 लाख तक के के.सी.सी. बिना किसी संपा"िवक प्रतिभूति (Collateral Security) के प्रदान किये जा सकते हैं और यदि Tripartite Agreement (Co-operative Society, Farmer and Bank) है तो रु. 3.00 लाख तक के ऋण बिना संपा"िवक प्रतिभूति (Collateral Security) के किये जाने है।

योजनान्तर्गत प्रगति का विवरण निम्न है : **(Annex. – 7)**

Progress as on 31/08/2020 (Amt. in lacs)

Targets	Applications submitted to Banks	Sanctioned		Disbursed		Returned	Pending
No.	No.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	No.
50000	22866	3183	1379.35	1567	683.58	973	18710

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एंव मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) :

राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एंव पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) – खरीफ 2020 एंव रबी 2020–21 से तीन वर्ष हेतु लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। समस्त बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एंव मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) – खरीफ 2020 के अंतर्गत संसूचित फसलों के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार माह जून 2020 तक लगभग 79918 कृ'ाकों को बीमा से आाच्छादित किया गया है।

फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) – खरीफ 2020 के अंतर्गत की गयी प्रगति का विवरण निम्नवत है : **(Annex. – 8)**

(₹ लाख में)

योजना	सीजन	अधिसूचित बीमित फसली ऋण की राशि	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि	क्लेम वितरित	लाभान्वित कृ'ाक
PMFBY	Kharif 2020	8714.29	28563	174.28	90.68	761
Re-WBCIS	Kharif 2020	24897.45	51355	1244.87	0	0
Total		**33611.74**	**79918**	**1419.15**	**90.68**	**761**

कृ'ाक कल्याण एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अव"ोष डाटा अपलोडिंग हेतु पोर्टल पुनः 15 दिन के लिए खोल दिया गया है, जो कि दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक खुला था। भारत सरकार के निर्दे"ाानुसार

सभी बीमित कृ'ाकों की सूचना पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है तथा पोर्टल में अपलोड कृ'ाकों के विवरण को ही सम्बन्धित मौसम में बीमित माना जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृ'ाकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019–20 के अंतर्गत वितरित क्लेम का विवरण निम्नवत है :

(Amt. in lacs)

Farmers Covered	Farmers Premium	Claims	Beneficiary
52701	354.52	92.00	796

Estimated Crop Cutting Expriment Yield based claim of PMFBY Rabi 2019-20 of Rs. 514.15 lakh is under process and will be distributed to farmers shortly.

एजेण्डा संख्या – 6 :

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers (including interested MUDRA borrowers) (Maximum 20% of Total outstanding amount) :

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा रु. 3 लाख करोड़ की Emergency Credit Lending Guarantee Scheme (ECLGS) जारी की गयी थी, जिसके तहत योग्य सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम इकाईयों (MSME) एंव इच्छुक मुद्रा (MUDRA) उधारकर्ताओं को Covid-19 महामारी एंव लॉकडाउन के कारण हुये अवरोध को गति प्रदान करने हेतु ऋण प्रदान किया जाना था।

सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दि"ाानिर्दे"ाानुसार GECL फन्डिंग के अंतर्गत अदत्त ऋण रा"ाि (Outstanding Loan Amt.) एवं वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover) की सीमा में बृद्वि की गयी है, जिसके अनुसार इकाईयों की अदत्त ऋण रा"ाि को रु. 25 करोड़ से बढ़ाकर रु. 50 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर की सीमा को रु. 100 करोड़ से बढ़ाकर रु. 250 करोड़ कर दिया गया है।

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है : **(Annex. – 9)**

Progress as on 31/08/2020, Phase – 1 upto Rs. 25 Crores (Rs. In Crores)

Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	No. of Accounts		Amount		Coverage Percentage
No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
90993	2205.89	88216	56267	32955	1385.54	1101.29	61.84 %

Progress as on 31/08/2020, Phase – II Above Rs. 25 to 50 Crores (Rs. In Crores)

Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	No. of Accounts		Amount		Coverage Percentage
No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
216	89.43	216	7	3	40.42	13.62	3.24 %

एजेण्डा संख्या – 7 :

Distressed Assets Fund – Subordinate Debt for Stressed MSMEs Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) :

The objective of the scheme is to provide personal loan through banks to the promoters of stressed MSMEs for infusion as equity / quasi equity in the business

eligible for restructuring, as per RBI guidelines for restructuring of stressed MSME advances.

In DAF-SDSM scheme, SMA-2 or NPA accounts as on 30.04.2020 are eligible. The Scheme is applicable for those MSMEs whose accounts have been Standard as on 31.03.2018 and have been in regular operations, either as Standard accounts, or as NPA accounts during financical year 2018-19 and financial year 2019-20.

The objective of the Credit Guarantee Scheme is to facilitate loans through Banks to the promoters of stressed MSMEs for infusion as equity /quasi equity in the business eligible for restructuring as per RBI guidelines.

Credit Guarantee Scheme for Subordinated Debt CGSSD) अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है : **(Annex. – 10)**

Progress as on 31/08/2020 (Rs. In lacs)

No. of MSME Borrowers which are Stressed (i.e. SMA-2 and NPA) as on 30.04.2020	**No. of Eligible Borrowers under CGSSD**	**Sanctioned under CGSSD**	
		No.	Amt.
6099	399	8	7.60

एजेण्डा संख्या – 8 :

(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि : **(Annex. – 11)**

वार्षिक ऋण योजना 2020–21 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रु. 25793.90 करोड़ के सापेक्ष जून 2020 त्रैमास तक बैंकों द्वारा रु. 5340.90 करोड़ की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का प्रथम त्रैमास हेतु निर्धारित मानक 15 प्रति"ात के सापेक्ष 21 प्रति"ात है।

(₹ करोड़ में)

मद	वार्षिक लक्ष्य 2020–21	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	7951.63	1129.62	14
सावधि ऋण	5270.68	695.23	13
फार्म सेक्टर (कुल योग)	13222.32	1824.85	14
नॉन फार्म सेक्टर (MSME)	8850.51	3352.82	38
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3721.07	163.23	4
कुल योग	**25793.90**	**5340.90**	**21**

"A review was done by RBI, Central Office regarding achievements under Annual Credit Plan (ACP) for the FY 2019-20 bank-wise and region-wise as well as the achievements of ACP targets under total Priority Sector Lending, Agriculture, MSME and Loan to Weaker Section. It has been observed from the review that the overall achievement under ACP for the State of Uttarakhand also, PSBs, RRBs and Rural Co-operative Banks have not achieved their targets under ACP for FY 2019-20. Therefore PSBs/UGB/ Co-operative

Bank may be advised to make concerted efforts in achieving the targets under ACP for the FY 2020-21."

Performance for the Financial Year 2019-20 under ACP :

(₹ करोड़ में)

मद	वार्षिक लक्ष्य 2019–20	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6806.40	4920.14	72
सावधि ऋण	3578.65	3173.41	89
फार्म सेक्टर (कुल योग)	10385.05	8093.55	78
नॉन फार्म सेक्टर (MSME)	8031.49	8372.50	104
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3594.74	1827.50	51
कुल योग	**22011.28**	**18293.56**	**83**

(ख) <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)</u> :

सभी बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रथम त्रैमास की समाप्ति पर वार्षिक लक्ष्य **₹ 8850.51 करोड** के सापेक्ष **₹ 3352.82 करोड** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो लक्ष्य का **38%** है।

एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत 30 जून, 2020 तक सेक्टरवार outstanding निम्नवत है: **(Annex. – 12)**

(कुल प्रदत्त रा"ि ₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1534	3818	2303	5728	631	755	4468	10301	14769

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 जून, 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 2020 से उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में वर्गीकृत किया गया है :

वर्गीकरण		सूक्ष्म उद्योग	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग
विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र	1.	संयत्र और म"ाीनरी या उपस्कर में निवे"ा रु. 1 करोड़ तक	संयत्र और म"ाीनरी या उपस्कर में निवे"ा रु. 10 करोड़ तक	संयत्र और म"ाीनरी या उपस्कर में निवे"ा रु. 50 करोड़ तक
	2.	टर्नओवर रु. 5 करोड़ तक	टर्नओवर रु. 50 करोड़ तक	टर्नओवर रु. 250 करोड़ तक

<u>एजेण्डा संख्या – 9</u> :

<u>एम.एस.एम.ई ऋण, कृषि ऋण एवं मुद्रा ऋण योजनान्तर्गत एन.पी.ए.</u> : (Annex. – 13)

(₹ करोड़ में)

Segment	Total Outstanding	NPA As on 30.06.2020		NPA %
	Amt.	No.	Amt.	
Agriculture	11470.00	81785	1286.31	11.21
MSME	14769.15	59017	1261.81	8.54
MUDRA	2734.07	19826	210.03	7.68

बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है,, अतः बैंक स्थानीय स्तर पर प्र"ाासन से समन्वय स्थापित करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने हेतु प्रयास करें।

करोना काल में बैंकों द्वारा ऋणियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधा (Moratorium/Re-structuring) की जानकारी उन्हे प्रेषित करें, जिससे अधिक से अधिक ऋणी Opt in की सुविधा के लिये सहमति प्रदान करें।

एजेण्डा संख्या – 10 :

जिला स्तरीय पुर्ननिरीक्षण समिति/जिला पराम"ादात्री समिति (DLRC/DCC) की मासिक बैठक :

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन के निर्दे"ाानुसार आगामी 6 माह तक राज्य के प्रत्येक जिले में प्रतिमाह जिला स्तरीय पुर्ननिरीक्षण समिति/जिला पराम"ादात्री समिति (DLRC/DCC) की बैठक की जानी है, जिसके क्रम में स्थानीय स्तर पर समीक्षा हेतु माह अगस्त 2020 में अतिथि तक 12 जिलो में (देहरादून जिले को छोड़कर) उक्त बैठक का आयोजन किया गया है। अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड से निर्णय लिये जाने से संबंधित कोई बिन्दु रिपोर्ट नही किया गया है।

एजेण्डा संख्या – 11 :

पंजाब ने"ानल बैंक, बन्दरकोट शाखा को नैनबाग में ि"ाफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में :

दिनांक 16 जून को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की वि"ोष बैठक में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कहा गया कि जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल से इस विषय में उनकी राय ली जाय।

इसी अनक्रम में कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रेषित पत्रांक 313/नौ–76 (2018–19) दिनांक 28 अगस्त, 2020 में अवगत कराया गया है कि उप जिलाधिकारी, धनोल्टी की आख्या के अनुसार पंजाब ने"ानल बैंक की शाखा वर्ष 1990 में स्थान द्वारगढ़ (गरखेत) में 20–25 गांवो के मध्य खोली गयी थी तथा वर्ष 1997 में उक्त शाखा को 10 किलोमीटर दूर, उक्त क्षेत्र के अन्तिम छोर स्थान बन्दरकोट में अन्तरण कर दिया गया था। क्षेत्रीय जनता द्वारा इसका बिरोध करने पर उक्त शाखा को नैनबाग में अन्तरण किया गया है, जो स्थान बन्दरकोट से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नैनबाग में पूर्व में ही भारतीय स्टेट बैंक एवं जिला सहकारी बैंक की शाखा संचालित है।

बन्दरकोट शाखा को नैनबाग में अन्तरण के फलस्वरुप क्षेत्रीय जनता को पें"ान (विधवा, दिव्यांग एवं वृद्वावस्था) लेने व अन्य लेन–देन हेतु 32 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे क्षेत्रीय जनता को समय एवं धन की हानि भी होती है। स्थान द्वारगढ (गरखेत) में राजकीय इण्टर कालेज, होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक विधालय के अतिरिक्त 25 गांवों का केन्द्र बिन्दु है।

अतः जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्रानुसार क्षेत्रीय जनता की मांग एवं सुविधा के दृष्टिगत पंजाब ने"ानल बैंक बन्दरकोट को स्थान द्वारगढ (गरखेत) में संचालित करना न्यायोचित होगा।

एजेण्डा संख्या – 12 :

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाए :

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2020 को सभी बैंकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक, प्र"ाासनिक कार्यालय, देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य में कार्यरत बैंकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में एम.एस.एम.ई. ऋण, कृषि ऋण एवं मुद्रा योजनान्तर्गत एन.पी.ए. खातों की स्थिति पर चर्चा की गयी तथा सभी बैंकों को एन.पी.ए. कम करने हेतु निर्दे"ाित किया गया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं यथा : एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम., पी.एम.ई.जी.पी., वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम स्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना, एस.सी.पी. आदि योजनान्तर्ग बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का तय सीमा अवधि में निस्तारण किया जाय।

(i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual) : (Annex. – 14)

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखो में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
772	1086	190	188	18	878

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : (Annex. – 15)

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखो में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					< 30 दिन	> 30 दिन
10353	10653	1733	2806.03	2251	874	5795

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) : (Annex. – 16)

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ करोड़ में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र		अनुदान वितरण लक्ष्य	अनुदान वितरण राशि
				< 30 दिन	> 30 दिन		
1326	3005	603	1380	592	430	39.77	5.96

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य **₹ 39.77 करोड** के सापेक्ष **₹ 5.96 करोड** की प्रगति दर्ज की गयी है।

उक्त योजनान्तर्गत अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण को निर्गत एवं मार्जिन मनी क्लेम हेतु ई.डी.पी. प्रशिक्षण में दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक छूट प्रदान की गई है, ताकि पी.एम.ई.जी.पी योजना में प्रगति दर्ज हो सके। जिन आवेदकों/उद्यमियों द्वारा ईडीपी प्रशिक्षण नही लिया गया है, उनको 31 दिसम्बर, 2020 तक ई.डी.पी. प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

सम्बन्धित बैंक एवं क्रियान्वयन अभिकरण सभी ई.डी.पी. लम्बित आवेदकों से ई.डी.पी. प्रशिक्षण ऑनलाईन वेबसाईट www.udyami.org.in पर ई.डी.पी. प्रशिक्षण 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करायें। कोविड–19 परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ई.डी.पी. प्रशिक्षण ऑनलाईन करना होगा।

(iv) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना : (Annex. – 17)

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखो में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						< 30 दिन	> 30 दिन
वाहन – 147	45	19	15	134.76	13	11	2
गैर–वाहन – 153	32	14	11	97.69	11	3	4
कुल योग – 300	**77**	**33**	**26**	**232.45**	**24**	**14**	**6**

(v) दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना : (Annex. – 18)

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखो में)

पूर्व प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत ऋण रा"ि	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					< 30 दिन	> 30 दिन
160	35	410.13	28	27	45	53

(vi) प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना : (Annex. – 19)

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

शाखाओं द्वारा स्वयं source कर स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र		विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र					सकल स्वीकृति	
		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र		निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र		
संख्या	राशि	संख्या	संख्या	राशि	संख्या	संख्या	संख्या	राशि
243	3971.48	94	20	317.00	59	15	263	4288.48

(vii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : (Annex. – 20)

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखो में)

योजना	ऋण राशि सीमा	स्वीकृत ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
ि"ा"ु	₹ 50000 तक के ऋण	22043	5344.00
कि"ोर	₹ 50000 से ₹ 5.00 लाख	14528	29469.00
तरुण	₹ 5.00 लाख से ₹ 10.00 लाख	2937	22993.00
कुल संख्या एवं ऋण रा"ि		**39508**	**57805.00**

(viii) स्टैण्ड अप इण्डिया : **(Annex. – 21)**

योजनांतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **₹ 10.00 लाख** से अधिक एवं **₹ 1.00 करोड** तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखो में)

मद	लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2020–21 30 जून, 2020 तक की प्रगति			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति	
		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत रा"ि	कुल वितरित ऋण आवेदन पत्र	कुल वितरित ऋण रा"ि
महिला	1109	60	60	1715.94	1531	33956.99
अनुसूचित जाति/जनजाति	1109	2	2	36.00	465	7574.74
योग	2218	**62**	**62**	**1751.94**	**1996**	**41531.73**

(ix) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान : **(Annex. –22)**

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में**)**

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	1463	518	253	231	156.30	21	244
अनुसूचित जनजाति	100	02	02	02	0.70	0	0
अल्पसंख्यक समुदाय	177	06	06	03	13.00	0	0
कुल योग	1740	526	261	236	170.00	21	244

एजेण्डा संख्या – 13

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नैनीताल बैंक के प्रधानमंत्री जन–धन योजना के लाभार्थियों के खाते में धनरा"ि जमा न होने के संबंध में :

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2020, मई 2020 एंव जून 2020 में नैनीताल बैंक के महिला लाभार्थियों को रु. 500/– पतिमाह का लाभ नही मिला है, जिसके अनुक्रम में पिछली बैठक मे मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्दे"ानुसार अपर सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्रांक 140/सी.एम.आर.(5)/स.वि.प्र./2020 दिनांक 29 जून, 2020 प्रेषित किया गया है।

एजेण्डा संख्या – **14**

(क) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति (एनएसएफई) 2020-2025

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) (अध्यक्षः उप गवर्नर, आरबीआई) के तत्वाधान में रा ष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (NSFI) द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए), डीएफएस और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों (डीएफआई, एसआरओ, आईबीए, एनपीसीआई) के परामर्श से वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति (NSFE) तैयार की गई है। एनएसएफई दस्तावेज को वित्तीय स्थिरताऔर विकास परिषद की उप समिति (एफएसडीसी-एससी) द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति (एनएसएफई) 2020-2025का आशय आबादी के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और व्यवहार, जिनकीआवश्यकता उनके पैसे को बेहतर ढंग से संभालने और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए है, विकसित कर उन्हें सशक्त बनाकर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विज़न को सहायताप्रदान करना है।

कार्यनीति के 5 'सी' दृष्टिकोण में स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रासंगिक विषय वस्तु (Content) के विकास पर बल देना, वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने में शामिल मध्यस्थों के बीच क्षमता (Capacity) बढ़ाना, समुदायकेंद्रित (Community) मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाने हेतु उचित संचार (Communication) कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता तथा विभिन्न स्टेकधारकों के बीच सहयोग (Collaboration) बढ़ाना शामिल है।

वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत का सृजन करने के विज़न की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित सामरिकउद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

i. वित्तीय शिक्षा के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता संकल्पनाएं उत्पन्न करना जिससे कि इन्हें जीवन कौशल में महत्त्वपूर्ण बनाया जा सके।
ii. सक्रिय बचत व्यवहार प्रोत्साहित करना।
iii. वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय बाजारों में सहभागिता को बढ़ावा देना।
iv. क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और आवश्यकता के अनुसार औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से क्रेडिट का लाभ लेने को बढ़ावा देना।
v. सुरक्षित एवं सद्रढ़ तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग बढ़ाना।
vi. प्रासंगिक और उचित बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न स्तरों पर जोखिम संभालना।
vii. उचित पेंशन उत्पादों के जरिए वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना बनाना।
viii. शिकायत समाधान के अधिकारों, कर्तव्यों और अवसरों के बारे में जानकारी।
ix. वित्तीय शिक्षण में प्रगति का आकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन तरीकों में सुधार करना।

(ख) Revised Priority Sector Guidelines:

Reserve Bank of India has comprehensively reviewed the Priority Sector Lending (PSL) Guidelines to align it with emerging national priorities and bring sharper focus on inclusive development, after having wide ranging discussions with all stakeholders.

Revised PSL guidelines will enable better credit penetration to credit deficient areas; increase the lending to small and marginal farmers and weaker sections; boost credit to renewable

energy, and health infrastructure.Bank finance to start-ups (up to ₹50 crore); loans to farmers for installation of solar power plants for solarisation of grid connected agriculture pumps and loans for setting up Compressed Bio Gas (CBG) plants have been included as fresh categories eligible for finance under priority sector.

Some of the salient features of revised PSL guidelines are:

1. To address regional disparities in the flow of priority sector credit, higher weightage have been assigned to incremental priority sector credit in 'identified districts' where priority sector credit flow is comparatively low. Three districts viz. Bageshwar, Rudraprayag and Tehri Garhwal in Uttarakhand have been identified under the low PSL credit category.
2. The targets prescribed for "small and marginal farmers" and "weaker sections" are being increased in a phased manner.
3. Higher credit limit has been specified for Farmers Producers Organisations (FPOs)/Farmers Producers Companies (FPCs) undertaking farming with assured marketing of their produce at a pre-determined price.

   Loan limits for renewable energy have been increased (doubled).

एजेण्डा संख्या – 15 :

(क) Agriculture Infrastructure Fund :

Hon'ble PM launched a new pan India central sector scheme for providing financing facility under Rs 1 lakh crore Agri Infrastructure Fund (AIF) on 09/08/2020. An allocation of Rs 785 cr has been made to Uttarakhand state under the scheme.

This scheme shall provide a medium –long term loan debt financing facility for investment in viable projects for postharvest management infrastructure and community farming through interest subvention and financial support. All loans under this will have interest subvention of 3% p.a. upto a loan limit of Rs. 2 Cr. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. The proposed duration of this scheme will be 2020-21 to 2029-30. Further, credit guarantee fee is being borne by GOI on behalf of loans disbursed by lending Institutions under the scheme.

Participating institutions include all SCBs, Scheduled cooperative Banks, RRBs, SFBs, NBFCs and NCDC who may participate after signing of MoU with NABARD/DAC & FW. With regard to eligible lending institutions, it was clarified that in addition to Scheduled Coop Banks, DCCBs with whom PACS are affiliated shall also be eligible to participate under the scheme.

Government of Uttarakhand has issued notification in this regard dated 21.08.2020, for constitution of State Level Monitoring Committee & District Level Monitoring Committee. Banks & Line Depts may create awareness towards the benefits provided under the scheme to farmers, startups, entrepreneurs, FPOs, Cooperatives, etc.

(ख) Special Refinance Facility - Transformation of Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) as Multi-Service Center (MSC):

To transform Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) as Multi-Service Center (MSC), Special Refinance Facility has been issued by NABARD vide circular no 189 dated 09 July 2020. Under this product, the refinance will be sanctioned to StCB. The Specific DPR will be prepared by PACS and submitted to CCBs / StCB for appraisal and loan approval. StCB may forward to

NABARD with their audited balance sheet for last 3 yrs. The eligible activities under this product are:

- Agro-storage centre
- Setting up of cold storage
- Agro-service centers:
- Agro-processing centers:
- Agri-information centre

Under this scheme NABARD has given in principal sanction for 102 PACS in the state to UKStCB for Transformation of Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) as Multi-Service Center (MSC). Under this refinance facility, the interest rate is @3% per annum (subject to change from time to time) & Ultimate interest rate to be charged from PACS should not be more than 1% over & above the interest rate charged by NABARD.

(ग) Special Refinance Scheme in NABARD Watershed and Wadi Project Areas

NABARD has launched this Special Refinance Scheme to provide assistance @ 3% ROI in with an objective to enhance credit flow and investment by farmers/ tribals in taking up appropriate economic activities in NABARD Watershed and Wadi Project Areas.
On 28 July 2020, NABARD RO, Dehradun had mailed to SLBC with a list of ongoing Watershed Development Fund and Tribal Development Fund projects supported by NABARD in the state, with a request to share the Circular and the details of the projects with all the member banks in the state so that banking plans for financing eligible economic activities in these project areas could be prepared. We have also requested to consider placing the scheme details in the ensuing SLBC meeting.

(घ) Central Sector Scheme on formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations:

Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare (DAC&FW), GoI has introduced a new Central Sector Scheme titled "Formation and Promotion of Farmer Produce Organizations (FPOs)" to form and promote 10,000 new FPOs based on Produce Cluster Area with a total budgetary provision of Rs 4,496 crore for five years (2019-20 to 2023-24) with a further committed liability of Rs 2,369 crore for the period from 2024-25 to 2027-28 towards handholding of each FPO for five years from its aggregation and formation. SFAC, NCDC and NABARD are the implementing agencies to form and promote FPOs. Moreover, a dedicated Credit Guarantee Fund of Rs. 1,500.00 crore to be created. Out of which, Rs. 1,000.00 crore will be created, maintained and managed by NABARD and the rest of Rs. 500.00 crore by NCDC.
In Uttarakhand, 26 FPOs to be formed during 2020-21, out of which, 20 FPOs to be formed by NABARD and 6 by SFAC & NCDC.

एजेण्डा संख्या – 16 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****